न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 92/2022

शुभम बनाम चरण सिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एवम् प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(घ)सिविल प्रक्रिया संहिता,

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1
2. श्री जरनैल सिंह टूरना — प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2
2. श्री सुभाष मिढढ़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– **दिनांक :– 27.12.2024**

वकील प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है। वादी द्वारा जो पंजीकृत बैयनामा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 03.03.2022 को उपपंजीयन कार्यालय श्रीगंगानगर की पुस्तक संख्या/जिल्द संख्या 1554 पृष्ठ संख्या 187 के कम संख्या 202203103102306 दिनांक 03.03.2022 को निरस्त करवाने हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 क व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। वादी का वाद कानून बैरड बॉई लॉ होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम– 1882 के अनुसार विधिनुसार प्रतिफल देकर बैयनामा करवाया गया है और वादाधीन सम्पत्ति के खातेदार द्वारा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि चक 12 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 4/181 मुरब्बा नं0 27 किला नं0 16 ता 20 में कृषि भूमि का बैयनामा विधिनुसार निष्पादित करवाया जिसको उप पंजीयन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा विधिनुसार पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत बैयनामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है क्योंकि बैयनामा सक्षम व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया और प्रार्थी द्वारा प्रतिफल देकर बैयनामा करवाया गया है बल्कि वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी आधार पर वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है। पंजीकृत अधिनियम 1908 के तहत की धारा 17 के तहत बैयनामा का पंजीकृत करवाया गया है और पंजीकृत बैयनामा को राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है और न ही राजस्व न्यायालय को जो विधिनुसार बैयनामा पंजीकृत किया गया अकृत व शून्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि उक्त माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है इसी आधार पर वादी का वाद सव्यय खारिज होने योग्य है । वादी द्वारा अपने वाद पत्र में आज्ञात्मक आदेशों की पालना नहीं की गई है इसी आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज होने योग्य है व वादी अपने वाद पत्र में वाद कारण कहीं भी दर्ज नहीं किया है महज वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 7 में यह अंकित किया गया है कि वादी को जैसे ही यह बात कही तो वादी द्वारा परिवार के सदस्यों को बतलाया तथा कृषि भूमि के संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बैयनामा करा दिया हुआ है। जिस पर दिनांक 26.07.2023 को नकल प्राप्त की तथा अधिवक्ता से संपर्क कर विधिक राय ली तथा जानकारी हुई कि बिना दावा किये न्याय प्राप्त नहीं होगा। इस कारण प्रतिवादी द्वारा की इंकारी व प्राप्त नकल बैयनामा से वाद कारण उत्पन्न हुआ। क्योंकि प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 2 के खिलाफ वाद का कारण दर्ज नहीं है। इसी आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा वाद पत्र में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि वादाधीन हस्तान्तरण शुद्धा कृषि भूमि का बैयनामा उप पंजीयन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत कराया गया था जो आवश्यक पक्षकार है जिससे वादी द्वारा अपने वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए इसी आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज होने यौग्य है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए0आई0आर0 2014 एस सी 3640 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। वादी द्वारा स्टेट के खिलाफ भी वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। स्टेट के खिलाफ वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है जो वादी द्वारा नहीं दिया गया और न ही वादी द्वारा धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया हैं। इसी आधार पर वादी का वाद खारिज होने योग्य है। अन्य कानूनी बिन्दु वक्त बहस अर्ज किए जावेगें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज किया जावे और प्रतिवादी को विशेष हर्जाना दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा वाद दस्तावेज बैयनामा को वादी के हितों तक शुरू से शून्य व निष्प्रभावी होने का प्रस्तुत किया है किसी प्रकार से निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ अपना हक व हिस्सा की घोषणा का प्रस्तुत किया है। वादी का वाद किसी प्रकार बार्ड बाई लॉ प्रस्तुत नहीं किया है दस्तावेज बैयनामा कराने व प्रतिफल प्राप्त करने का कोई हक प्रतिवादी को नहीं था, ऐसा दस्तोवेज बैयनामा शुरू से शून्य व बिना अधिकार क्रय करने से राजस्व न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दस्तावेज बैयनामा कृषि भूमि का है जो बिना अधिकार के केवल मात्र वादी का हक व हिस्सा को समाप्त करने के सम्बन्ध में किया गया, जिसकी सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। वादी द्वारा अपने वाद की चरण संख्या 6 व 7 में वाद के कारणों का पूर्ण उल्लेख किया है, तथा बिना अधिकार के किये बैयनामा के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है, इस कारण वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा केवल मात्र वाद की कार्यवाही को लम्बा चलाने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादी का वाद केवल मात्र बैयनामा को वादी के अधिकारों पर शून्य व बैअसर होने का ही अनुतोष चाहा है, जिससे हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। वादी का दावा घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का है, जिस सम्बन्ध में धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र अप्रार्थी विशेष हर्जाना से निरस्त फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(घ) सी.पी.सी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी वाद पत्र वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 (क), 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कृषि भूमि वाके चक 12 एलएनपी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 20/1 की कुल 1.226 हैक्टेयर एवं बैयनामा दिनांक 03.03.2022 जो प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में पंजीबद्ध किया गया, को वादी के अधिकारो पर बेअसर व शून्य घोषित करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के अभिवचनो में वादी द्वारा वाद–पत्र के चरण संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि वादी की पत्नी आरजू जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री थी, के नाम से चक 12 एलएनपी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 20/1 की कुल 1.226 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी जिसके आधार पर वादी की पत्नी प्रश्नगत भूमि की मालिक व हकदार हुई। वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि वादी की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री आरजू का देहांत एक सडक दुर्घटना में दिनांक 13.02.2021 को हो गया था तथा चरण संख्या 5 में यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि जो स्व० आरजू के

उप अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गुपचुप तरीके से अपने नाम से दर्ज करवा ली गई जिसका प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं था चूंकि उक्त भूमि वादी की पत्नी आरजू के नाम थी जिसके देहांत बाद वादी उक्त भूमि का मालिक व हकदार हुआ। वाद–पत्र के चरण संख्या 8 में यह कथन अंकित किये गये है कि प्रश्नगत भूमि जो वादी की पत्नी के नाम दर्ज थी, उसके देहांत के बाद वादी बतौर पति वारिस हुआ व प्राप्त करने का अधिकारी व हकदार हुआ जिसका प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार से मालिक व हकदार है जिस कारण उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये बैयनामा दिनांक 03.03.2022 बेचान की गई भूमि वादी के अधिकारों पर बेअसर है। इस प्रकार वादी प्रश्नगत भूमि का बतौर आरजू का पति होने के कारण उक्त भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये इंतकाल संख्या 488 दिनांक 05.10.2021 दर्ज हो गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 (घ) सी. पी.सी का प्रस्तुत किया गया है जिसका विधिसम्मत निस्तारण केवल वादी द्वारा वाद--पत्र में अंकित किये गये अभिवचनों का अवलोकन कर किया जाना है जिस हेतु किसी भी प्रकार से जवाबदावा एवं साक्ष्य की आवश्कता नही है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-- 1 इसलिए विस्तृत तथ्यों के आधार पर जवाबदावा प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जैसा कि उपरोक्त चरणों में वर्णित एवं प्रस्तुत वाद पत्र के अवलोकन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्पष्ट रूप से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रारम्भिक अवस्था में ही बिना विचारण किये निरस्त किये जाने योग्य है चूंकि उक्त वाद पत्र में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में विधिक स्थिति एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त इस सम्बंध में स्पष्ट है कि जब किसी हिन्दू स्त्री को जब कोई भूमि अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के अभाव में धारा 15 की उप–धारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर पिता के वारिसो को न्यागत होगी अर्थात अपने मूल स्त्रोत में पुनः लौट जावेगी। ऐसी परिस्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 (2) (क) लागू होती है न की धारा 15 (1) के प्रावधान लागू होते है। उक्त अनवानी वाद पत्र में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रश्नगत भूमि स्व० आरजू को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त हुई थी तथा स्व० आरजू का देहांत दिनांक 13.02.2021 को निर्वसीयत एवं बेओलाद हो चुका है जिसके देहांत के पश्चात प्रश्नगत भूमि जरिये इंतकाल संख्या 488 दिनांक 05.10.2021 प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) (क) में वर्णित प्रावधानों अनुसार वादी किसी भी रुप में उसकी पत्नी आरजू की मृत्यु निर्वसीयत एवं बेऔलाद होने के पश्चात प्रश्नगत भूमि जो उसे अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त हुई थी, को उत्तराधिकारी के मे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त अनवानी वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) के प्रावधान के अर्न्तगत विधि से वर्जित होने के कारण आयन्दा बिना विचारण किये निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानो अनुसार वादी द्वारा निराधार कथनों के आधार पर प्रस्तुत हस्गत वाद पत्र विना विचारण किये प्रारम्भिक स्तर पर ही विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र उपरोक्त वर्णित आधारो पर विधि द्वारा वर्धित होने के कारण सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1 की मुख्य बहस यह रही कि चक 12 एलएनपी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 20/1 की कुल 1.226 हैक्टेयर एवं बैयनामा दिनांक 03.03.2022 जो प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में पंजीवद्ध किया गया, को वादी के अधिकारो पर बेअसर व शून्य घोषित करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि जो वादी की पत्नी के नाम दर्ज थी, उसके देहांत के बाद वादी बतौर पति वारिस हुआ व प्राप्त करने का अधिकारी व हकदार हुआ जिसका प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार से मालिक व हकदार है जिस कारण उसके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये बैयनामा दिनांक 03.03.2022 बेचान की गई भूमि वादी के अधिकारों पर बेअसर है। इस प्रकार वादी प्रश्नगत भूमि का वतौर आरजू का पति होने के कारण उक्त भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये इंतकाल संख्या 488 दिनांक 05.10.2021 दर्ज हो गया है। उपरोक्त चरणों में वर्णित एवं प्रस्तुत वाद पत्र के अवलोकन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्पष्ट रूप से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रारम्भिक अवस्था में ही बिना विचारण किये निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त इस सम्बंध में स्पष्ट है कि जब किसी हिन्दू स्त्री को जब कोई भूमि अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के अभाव में धारा 15 की उप–धारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी अर्थात अपने मूल स्त्रोत में पुनः लौट जावेगी। ऐसी परिस्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 (2) (क) लागू होती है न की धारा 15 (1) के प्रावधान लागू होते है।तथ्य निर्विवादित है कि प्रश्नगत भूमि स्व० आरजू को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त हुई थी तथा स्व० आरजू का देहांत दिनांक 13.02.2021 को निर्वसीयत एवं बेओलाद हो चुका है जिसके देहांत के पश्चात प्रश्नगत भूमि जरिये इंतकाल संख्या 488 दिनांक 05.10.2021 प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार उपरोक्त अनवानी वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) के प्रावधान के अर्न्तगत विधि से वर्जित होने के कारण आयन्दा बिना विचारण किये निरस्त किये जाने योग्य है। **वकील प्रतिवादी संख्या 2 की मुख्य बहस यह रही कि** वादी का वाद कानून बैरड बॉई लॉ होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम–1882 के अनुसार विधिनुसार प्रतिफल देकर बैयनामा करवाया गया है और वादाधीन सम्पत्ति के खातेदार द्वारा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि चक 12 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 4/181 मुरब्बा नं0 27 किला नं0 16 ता 20 में कृषि भूमि का बैयनामा विधिनुसार निष्पादित करवाया जिसको उप पंजीयन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा विधिनुसार पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत बैयनामा को राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है और न ही राजस्व न्यायालय को जो विधिनुसार बैयनामा पंजीकृत किया गया अकृत व शून्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि उक्त माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है इसी आधार पर वादी का वाद सव्यय खारिज होने यौग्य है। वादी द्वारा वाद पत्र में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि वादाधीन हस्तान्तरण शुद्धा कृषि भूमि का बैयनामा उप पंजीयन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत कराया गया था जो आवश्यक पक्षकार है जिससे वादी द्वारा अपने वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए इसी आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज होने यौग्य है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए0आई0आर0 2014 एस सी 3640 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त – 2010(1) आर.आर.टी. 124, एवम् Hindu Succession Act, 1956 – Section 15(1)(b) प्रस्तुत किया गया। **वकील वादी की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि** वादी द्वारा वाद दस्तावेज बैयनामा को वादी के हितों तक शुरू से शून्य व निष्प्रभावी होने का प्रस्तुत किया है किसी प्रकार से निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ अपना हक व हिस्सा की घोषणा का प्रस्तुत किया है। वादी का वाद किसी प्रकार वार्ड बाई लॉ प्रस्तुत नहीं किया है दस्तावेज बैयनामा कराने व प्रतिफल प्राप्त करने का कोई हक प्रतिवादी को नहीं था, ऐसा दस्तोवेज बैयनामा शुरू से शून्य व बिना अधिकार कय करने से राजस्व न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दस्तावेज बैयनामा कृषि भूमि का है जो बिना अधिकार के केवल मात्र वादी का हक व हिस्सा को समाप्त करने के सम्बन्ध में किया गया, जिसकी सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। वादी का वाद केवल मात्र बैयनामा को वादी के अधिकारों पर शून्य व बैअसर होने का ही अनुतोष चाहा है, जिससे हितबद्ध व्यक्तियो को पक्षकार बनाया गया है। वादी का दावा घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का है, जिस

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना किसी प्रकार से आवश्यक नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

इसके पश्चात् दिनांक 20.12.2024 को वादी शुभम पुत्र श्री सुभाष चन्द द्वारा जरिए वकील श्री जगमोहन आहुजा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि उक्त शीर्षक की पत्रावली को पेशी में लिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र पर रीडर की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 196/2023 अनवान शुभम बनाम चरण सिंह में दिनांक 19.12.2024 को बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सुनी जा चुकी है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के निर्णय हेतु तारीख पेशी दिनांक 27.12.2024 निश्चित है।

इसके पश्चात् दिनांक 26.12.2024 को वादी शुभम पुत्र श्री सुभाष के द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि विचाराधीन मुकदमा अनवानी शुभम बनाम चरण सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 2023/196 तारीख पेशी 27.12.2024 मुकर्रर है। प्रार्थी द्वारा आपके न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा के सम्बन्ध में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जिसकी नकल संलग्न है। जिलाधीश के आदेश आने तक इस मुकदमा में अन्य कोई कार्यवाही न की जावे।

हमने प्रार्थना पत्र पर विवेचन किया। बहस पश्चात् इस तरह के प्रार्थना पत्र निर्णय में देरिना करने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2024 एवम् 27.12.2024 सारहीन होने एवम् महज आदेश/निर्णय की देवी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करने के कारण खारिज किये जाते हैं।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र में अभिलिखेत अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :—

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)— जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)— जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)— जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)— जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)— जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की पत्नी आरजू जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री थी, के नाम से चक 12 एलएनपी, श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16 ता 20/1 की कुल 1.226 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

जिसके आधार पर वादी की पत्नी प्रश्नगत भूमि की मालिक व हकदार थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 15(1)(बी) के अनुसार "*बिना संतान वाली हिन्दू विधवा द्वारा छोडी गई सम्पत्ति का हस्तांतरण उसके द्वारा छोडी गई सम्पत्ति उसको मां से विरासत में मिली थी वही सम्पत्ति उसके पिता के कानून अधिकारियों को मिलेगी न कि उसके पति के उत्तराधिकारियो को।*" इस प्रकार महिला अपनी सम्पत्ति की स्वयं स्वामीनी होती है। वादी की पत्नी आरजू की मृत्यु उपरान्त उसके नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज भूमि का इंतकाल उसके पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत बैयनामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 03.03.2022 को किया जा चुका है। जिसके निरस्तीकरण की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवम् वाद पत्र में अभिलिखित अभिवचनों के अवलोकन से वादी को वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., आदेश 7 नियम 11 (घ) सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 27.12.2024 को उभयपक्ष को सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर